अनुभवी राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से बिहार राज्य देश के सर्वाधिक आपदा प्रवण राज्यों में से एक है। राज्य के सभी जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन (पांच, चार, तीन) के अन्तर्गत आते है। उल्लेखनीय है कि अभी तक भूकम्प पूर्वानुमान की कोई सटीक सूचना प्रणाली विकसित नहीं हुई है। भूकम्प को रोका नहीं जा सकता किन्तु इससे निपटने की पूर्व तैयारी एवं जन-जागरूकता से इसके कारण होने वाली जान एवं माल की क्षति को काफी हद तक रोका जा सकता है। यह भी सच है कि भूकम्प से किसी की जान नहीं जाती, किन्तु भूकम्प के कारण ढहने वाले कमजोर भवनों में दबकर जन हानि होती है। अतएव भवनों को भूकम्परोधी बनाकर काफी हद तक हम जान-माल की क्षति को कम कर सकते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आवासीय भवनों समेत अन्य संरचनाओं को भूकंप के दौरान होनेवाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से राज्य भर में असैनिक अभियंताओं व अनुभवी राजमिस्त्रियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने के लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 5000 अभियंताओं, वास्तुविदों एवं संवेदकों तथा करीब 20000 अनुभवी राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

आपदा प्रबंधन के बदले परिदृश्य में भूकंपरोधी भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने एवं पूर्व में निर्मित मकानों की रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकंपरोधी बनाने की दिशा में प्राधिकरण कार्य कर रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्माण कार्य में संलग्न सभी साझेदारों का क्षमतावर्द्धन किया जाए तथा आमजन को भूकंपरोधी भवनों के निर्माण के संदर्भ में जागरूक किया जाए। अनुभवी राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से देश के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) द्वारा एक कांसेप्ट नोट प्राधिकरण को समर्पित किया गया है जिसके समीक्षोपरान्त आई.आई.टी. को प्रस्ताव में संसोधन हेतु कहा गया है।

NSDC के CEO एवं प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष के स्तर पर हुई वार्ता के उपरान्त NSDC की उप महाप्रबंधक सुश्री भावना वर्मा से ईमेल प्राप्त हुआ है जिसे मा० उपाध्यक्ष के अवलोकनार्थ भेजा गया था | जिसे माननीय उपाध्यक्ष के निदेशानुसार विधि परामर्शी (श्री रज़ा) द्वारा आवश्यक संशोधन कर NSDC की उप महाप्रबंधक सुश्री भावना वर्मा को भेज दिया गया है एवं संशोधनोपरांत MoU ड्राफ्ट को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने को बोला गया है |